

No 1/12/2011-IF- II (Vol. III)

Government of India

Ministry of Finance

Department of Financial Services

Jeevan Deep Building, 3rd floor,

Sansad Marg, New Delhi – 110 001

Dated 21st October, 2025

To:

CMD SIDBI

Chairman SBI / NABARD

MD EXIM Bank/NHB/IIFCL/NaBFID

MD & CEO of all Public Sector Banks/ IFCI Limited

Subject: Applications invited for appointment to the post of Chief Executive Officer in the National Credit Guarantee Trustee Company Ltd.

Sir/Madam,

National Credit Guarantee Trustee Company Ltd (NCGTC) was incorporated on 28.03.2014 as wholly owned Government of India Company, under Companies Act, 1956. Applications are invited from eligible candidates for the post of Chief Executive Officer (CEO) in NCGTC. Detailed guidelines for selection of CEO, NCGTC are enclosed.

2. The respective Organizations are requested to forward the applications/ names of the willing officers in the attached format with vigilance clearance from their Chief Vigilance Officer (CVO) concerned, together with the applicant's curriculum vitae, one passport-size photograph along with attested copies of their Annual Performance Assessment Reports (APARs) for the last five years (complete in all respects) i.e., from 2020-21 to 2024-25, to this Department in a closed cover, superscripted "Application for Chief Executive Officer, National Credit Guarantee Trustee Company Ltd.". The applications may be submitted to: Sh. Anil Kumar, Under Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Room No.16, Jeevan Deep Building, 3rd floor, Sansad Marg, New Delhi – 110 001.

3. Last date for receipt of applications is 11th November 2025. In case the closing date happens to be public holiday, the next working day will be the last date for receiving of applications.

4. This department will, in no case, be responsible for non-receipt of applications or any delay in receipt thereof. The Government reserves the right to cancel or withdraw the selection and appointment process at any stage due to administrative exigencies, if any, without assigning any reasons therefor.

5. This issues with the approval of competent authority.

Encl.: as above

Yours sincerely,



Pooja Sharma

Under Secretary to Govt. of India

Copy to:

1. Director, NIC (with the request to upload a copy of this circular on DFS website)
2. CEO, NCGTC (with the request to upload a copy of this circular on NCGTC website).

Guidelines for selection of Chief Executive Officer (CGM level in SIDBI) in National Credit Guarantee Trustee Company Limited under the administrative purview of the Department of Financial Services

1. **Mode of Appointment.** — Deputation/Contract basis

2. **Eligibility.** — Chief General Managers (CGMs) or General Managers (GMs) who have served for minimum years of service as GM of Public Sector Banks (PSBs) or Financial Institutions (FIs) concerned, under the administrative purview of the Department of Financial Services, and have a residual service of at least two year on the date of vacancy, are eligible to be considered for appointment. The ‘minimum years of service as GM of Public Sector Banks (PSBs) or Financial Institutions (FIs) concerned’ means the candidate available for selection should be eligible for selection as CGM in PSBs/FIs concerned.

2.1 The minimum service requirement may be relaxed with the approval of the Finance Minister, if sufficient candidates are not available for selection.

3. **Recommendations.** — Selection committee to be chaired by Secretary; with an officer at the level of Executive Director to be nominated by Reserve Bank of India and two experts with subject matter knowledge relating to PSBs and FIs to be nominated by FSIB. Joint Secretary in charge of IF Division, DFS shall be the Member Secretary of the Committee. Selection committee will recommend for consideration of competent authority, the Finance Minister, the candidates for appointment as CEO, NCGTC.

4. **Methodology for making recommendations.** — 50% weightage shall be given to the marks awarded by the Committee, on the basis of the interaction and the Annual Performance Appraisal Report (APAR) scores for the preceding five years (maximum 10 marks for each year) respectively. Where one or more APARs have not been written for any reason during the relevant period, the Committee may consider the APARs of the years preceding the period in question. Balance 50% weightage to be decided by the Committee based on parameters such as technical knowledge, managerial capacities, diversity of experience, general and economic awareness, and overall personality.

4.1 The Committee will finalize the results based on the APAR scores and outcome of the interaction as detailed above and send its recommendations, along with the ranking, comments (if any), and the marks given in the interaction, for consideration of competent authority.

5. **Validity of recommendations.** —The recommendations shall be valid for a period of up to one year or as per orders issued by the Department of Financial Services, and may be extended with the approval of the Finance Minister.

6. **Vigilance clearance.** —A candidate in respect of whom vigilance clearance from the Chief Vigilance Officer of PSBs/FIs concerned is available will be considered for interaction. Vigilance clearance from the Central Vigilance Commission and Reserve Bank of India will be obtained before appointment of a candidate.

7. **Term of appointment.** —The term of appointment will be for an initial period of three years and may be extended based on performance up to the age of superannuation, or until further order, whichever is earlier.

8. **Pay Scales.** — CEO, NCGTC will draw consolidated salary of CGM (CGM position operational at SIDBI), if appointed on contract basis. The extant guidelines of the lending institution concerned [PSBs/FI], along with a deputation allowance shall be applicable in case of deputation. The perquisites of CEO, NCGTC will also be at present, that of CGM SIDBI, till fresh guidelines on perquisites are framed and approved by the Competent Authority.

FORM OF APPLICATION

Post applied for _____

To

Shri Anil Kumar
Under Secretary, Department of Financial Services,
Ministry of Finance, 3rd floor,
Jeevandeep Building, Sansad Marg, New Delhi – 110 001.

Affix your Passport
size photograph
duly signed across

1.	Name in Full (in Block Letter)								
2.	Father's/ Husband's name								
3.	Date of birth	Day	Month	Year	4.	Age as on 11.11.2025	Day	Month	Year
5.	Nationality								
6.	a) Academic								
	Qualification	Board / University		Year of Passing	Subject		Percentage		
	b) Professional								
	Qualification	Board / University		Year of Passing	Subject		Percentage		
7.	Details of Experience and brief service particulars								
	Post (regular/ad-hoc)/ Organization details	Period (From – To)		Scales of Pay and Basic Pay	Nature of Duties		Remarks / any other information relevant for the post		
8.	Name /address of present employer / institution:								

9	Present post held:			
10.	Date since present post held:			
11.	Complete Postal Address, Telephone and E-mail particulars: Permanent Address: Present Postal Address:			
	Email	Telephone	Office	Mobile
12.	Any other relevant information in support of application:			

DECLARATION:

I do hereby declare that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any particular or information furnished by me, found false / incomplete or ineligible, my candidature will be rejected or cancelled and in the event of any statement information found false even after appointment, my services are liable to be terminated without any notice.

No. of Encl.: _____ Sheets

(Signature of Candidate)

NAME: _____

फा.सं. 1/12/2011-आईएफ-II (खंड-III)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

तृतीय तल, जीवन दीप भवन,
संसद मार्ग, नई दिल्ली
21 अक्टूबर, 2025

सेवा में,

सीएमडी, सिडबी
अध्यक्ष एसबीआई/नाबार्ड
प्रबंध निदेशक, ऐक्जिम बैंक/एनएचबी/आईआईएफसीएल/नैबफीड
एमडी एंड सीईओ, सार्वजनिक बैंक के सभी बैंक/आईएफसीआई लिमिटेड

विषय: राष्ट्रीय क्रण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करना।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय क्रण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) को कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में दिनांक 28.3.2014 को निर्गमित किया गया था। एनसीजीटीसी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनसीजीटीसी के चयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश संलग्न हैं।

2. संबंधित संगठनों से अनुरोध है कि वे इच्छुक अधिकारियों के आवेदन/नाम को निर्धारित प्रपत्र में संबंधित मुख्य सतर्कता अधिकारी की सतर्कता अनापत्ति सहित आवेदनकर्ता के जीवन वृत्त, एक पासपोर्ट आकार की फोटो और पिछले पांच वर्षों, अर्थात् 2020-21 से 2024-25 तक, की (सभी प्रकार से पूर्ण) वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की अभिप्रामाणित प्रतियों को बंद लिफाफे, में इस विभाग को अग्रेषित करें जिस पर 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय क्रण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड' के लिए आवेदन' लिखा हो, आवेदन श्री अनिल कुमार, अवर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा नं. 16, जीवन दीप भवन, दूसरा तल, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास जमा किए जा सकते हैं।

3. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि, 11 नवंबर, 2025 है। यदि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को सार्वजनिक अवकाश हो जाए तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अगला कार्य दिवस होगा।

4. यह विभाग किसी भी मामले में आवेदन प्राप्त न होने अथवा इसकी प्राप्ति में किसी प्रकार के विलंब के लिए उनरदायी नहीं होगा। सरकार को प्रशासनिक अपेक्षाओं, यदि कोई हो, के कारण बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को रद्द करने अथवा वापस लेने का अधिकार है।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

पूजा शर्मा

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

- निदेशक, एनआईसी (डीएफएस वेबसाइट पर इस परिपत्र की एक प्रति अपलोड करने के अनुरोध के साथ);
- सीईओ, एनसीजीटीसी (एनसीजीटीसी की वेबसाइट पर इस परिपत्र की एक प्रति अपलोड करने के अनुरोध के साथ)।

वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के तहत राष्ट्रीय क्रण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सिडबी में सीजीएम स्तर) के चयन के लिए दिशानिर्देश

1. **नियुक्ति की पद्धति -प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर**
2. **पात्रता - मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) अथवा महाप्रबंधक (जीएम), जिन्होंने वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) या संबंधित वित्तीय संस्थाओं (एफआई) के जीएम के रूप में न्यूनतम वर्षों की सेवा की है और रिक्ति की तिथि को जिनकी कम से कम दो वर्ष की सेवा शेष हो, नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। 'सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) या संबंधित वित्तीय संस्थाओं (एफआई) के जीएम के रूप में सेवा के न्यूनतम वर्षों का अर्थ है कि चयन के लिए उपलब्ध अभ्यर्थी संबंधित पीएसबी/एफआई में सीजीएम के पद पर चयन के लिए पात्र होना चाहिए।**
- 2.1 **यदि चयन के लिए पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो वित्त मंत्री की मंजूरी से न्यूनतम सेवा अपेक्षा में छूट दी जा सकती है।**
3. **सिफारिशें—चयन समिति की अध्यक्षता सचिव द्वारा की जाएगी; जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नामित किया जाएगा और पीएसबी और एफआई से संबंधित विषय की जानकारी रखने वाले दो विशेषज्ञों को एफएसआईबी द्वारा नामित किया जाएगा। आईएफ प्रभाग, डीएफएस के प्रभारी संयुक्त सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। चयन समिति, एनसीजीटीसी के सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी, वित्त मंत्री से करेगी।**
4. **सिफारिश की पद्धति —बातचीत और पिछले पांच वर्षों की वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) (प्रत्येक वर्ष के लिए अधिकतम 10 अंक) के आधार पर समिति द्वारा दिए गए अंकों को 50% वेटेज दिया जाएगा। जहां संगत अवधि के दौरान किसी भी कारण से एक या अधिक एपीएआर नहीं लिखे गए हों, तो समिति प्रश्नगत अवधि से पहले के वर्षों के एपीएआर पर विचार कर सकती है। शेष 50% वेटेज का निर्धारण तकनीकी ज्ञान, प्रबंधकीय क्षमताओं, अनुभव की विविधता, सामान्य और आर्थिक जागरूकता और समग्र व्यक्तित्व जैसे मापदंडों के आधार पर समिति द्वारा किया जाएगा।**
- 4.1 **समिति एपीएआर के अंक और बातचीत के नतीजे के आधार पर परिणामों को ऊपर दिए गए ब्यौरे के अनुसार अंतिम रूप देगी और रैंकिंग, टिप्पणियों (यदि कोई हो) और बातचीत में दिए गए अंकों के साथ सक्षम प्राधिकारी के विचार के लिए अपनी सिफारिशें भेजेगी।**
5. **सिफारिशों की वैधता - सिफारिशें एक वर्ष तक की अवधि के लिए या वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार वैध होंगी, और वित्त मंत्री की मंजूरी से इसकी अवधि बढ़ायी जा सकती है।**
6. **सतर्कता अनापत्ति - जिस अभ्यर्थी के संबंध में संबंधित पीएसबी/एफआई के मुख्य सतर्कता अधिकारी से सतर्कता अनापत्ति प्राप्त हो गयी हो, बातचीत के लिए उन पर विचार किया जाएगा। अभ्यर्थी की नियुक्ति से पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक से सतर्कता अनापत्ति प्राप्त की जाएगी।**
7. **नियुक्ति की अवधि - नियुक्ति की अवधि आरंभ में तीन वर्ष की होगी और कार्यनिष्पादन के आधार पर इसे सेवानिवृत्ति की आयु तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जा सकती है।**
8. **वेतनमान - यदि नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की जाती है, तो सीईओ, एनसीजीटीसी, सीजीएम (सिडबी में प्रचलित सीजीएम पद) का समेकित वेतन प्राप्त करेंगे। प्रतिनियुक्ति के मामले में प्रतिनियुक्ति भत्ते सहित संबंधित क्रण देने वाली संस्था [पीएसबी/एफआई] के मौजूदा दिशानिर्देश लागू होंगे। अनुलिखितों के संबंध में नए दिशानिर्देश तैयार किए जाने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे अनुमोदित किए जाने तक सीईओ, एनसीजीटीसी की अनुलिखित वर्तमान में सीजीएम सिडबी के समान होंगी।**

आवेदन का प्रपत्र

के पद के लिए आवेदन

सेवा में,

श्री अनिल कुमार
अबर सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग,
वित्त मंत्रालय, तृतीय तल,
जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

अपना पासपोर्ट
आकार का फोटो
चिपकाकर उस पर
आर-पार हस्ताक्षर
करें

1.	आवेदक का पूरा नाम (साफ अक्षरों में)								
2.	पिता/पति का नाम								
3.	जन्म तिथि	दिन	माह	वर्ष	4.	दिनांक को आयु	दिन	माह	वर्ष
5.	राष्ट्रीयता								
6.	क) शैक्षणिक								
	योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष			विषय	प्रतिशतता		
	अहंता	बोर्ड/विश्वविद्यालय	उत्तीर्ण होने का वर्ष			विषय	प्रतिशतता		
7.	अनुभव का व्यौरा तथा सेवा का संक्षिप्त विवरण								
	पद (नियमित/तदर्थी)/संगठन का विवरण	अवधि (से-तक)	वेतनमान और मूल वेतन			कार्य का स्वरूप	अभ्युक्ति/पद से संबंधित कोई अन्य संगत सूचना		
8.	वर्तमान नियोक्ता/संस्थान का नाम/पता:								
9.	वर्तमान में धारित पद:								
10.	वर्तमान पद धारित करने की तिथि:								
11.	पूरा डाक पता, दूरभाष और ई-मेल का व्यौरा: स्थायी पता: वर्तमान डाक पता:								
	ई-मेल	टेलीफोन	कार्यालय			मोबाइल			
12.	आवेदन के पक्ष में कोई अन्य संगत सूचना:								

घोषणा:

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दिए गए सभी विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि मेरे द्वारा दिया गया कोई विवरण या सूचना झूठी/अपूर्ण अथवा अनुचित पायी गई तो मेरी अभ्यर्थिता अस्वीकृत अथवा रद्द कर दी जाएगी और नियुक्ति के बाद भी यदि कोई विवरण सूचना गलत पायी गई तो मेरी सेवा बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है।

संलग्नकों की सं.: _____ पृष्ठ

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर)

नाम: _____